

भाग -4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>cf. खदानपूर इवं cf. खुराकी</p> <p>की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।</p>
----	--	--

दिनांक:- 6/10/21

स्थान

हस्ताक्षर
नाम Anupam Gupta
सरकारी स्थान Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
संस्करण नं. Forest Conservation Act, 1980
संस्करण नं. U.P. Lucknow